उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– /बीस–4/2017–1(06)/2013
देहरादून : दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 30.11.2017 में पारित निर्णय के क्रम में अधिसूचना संख्या–1209/बीस–4/2017–1(06)/2013 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गयी है।

2– उक्त नियमावली अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

आनन्द वर्द्धन
प्रमुख सचिव।

संख्या–1224/बीस–4/2017–1(06)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5– मण्डलायुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
7– महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
8– समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
9– समस्त वरिष्ठ जेल अधीक्षक/जेल अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को नियमावली के हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियां संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि नियमावली को सरकारी गजट पर प्रकाशित करते हुये इसकी 100 प्रतियां गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या–1209 /बीस–4/2017–1(6)/2013
देहरादून : दिनांक 04 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 432 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके दण्डादेशों के निलम्बन के बारे में और उन शर्तों के बारे में जिन पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने और निस्तारित किये जाने चाहिये, निदेश देने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित सामान्य नियमावली बनाते हैं। अर्थात्:

उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार	1	(1)		इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 है।
		(2)		यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
		(3)		इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
		(4)		यह नियमावली उत्तराखण्ड के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, सिद्धदोष बन्दियों पर लागू होगी, चाहे वे उत्तराखण्ड राज्य के भीतर या राज्य के बाहर की न्यायिक अभिरक्षा के अधीन राज्य के बाहर परिरूद्ध हों, किन्तु वह निम्नलिखित पर लागू नही होगी :–
			(क)	ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नही है, सिद्धदोष बंदियों पर;
			(ख)	ऐसे बंदियों पर जिनके विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अन्य आपराधिक मामला लम्बित हो;
			(ग)	ऐसे बंदियों पर जो ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हैं, जिसके लिए दण्डादेश का निलम्बन किसी विधि में अनुमन्य नही है।
परिभाषायें	2	जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–		
		(1)		"राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
		(2)		"सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
		(3)		"राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
		(4)		"प्रपत्र" से इस नियमावली से संलग्न कोई प्रपत्र अभिप्रेत है;
		(5)		"बन्दी" से उत्तराखण्ड न्यायालयों द्वारा दण्डित सिद्धदोष बन्दी अभिप्रेत है;
दण्डादेश के निलम्बन की शक्ति	3	(1)		मण्डलायुक्त किसी बंदी के दण्डादेश का निलम्बन 15 दिन तक निम्नलिखित किन्ही आधारों पर कर सकेंगे ; अर्थात् :–
			(क)	बंदी के माता, पिता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या बहन की बीमारी, या
			(ख)	उक्त खण्ड (क) में उल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी की मृत्यु, या
			(ग)	पुत्र, पुत्री, भाई या बहन का विवाह, या
			(घ)	अपनी निजी भूमि पर कृषि की बुआई या कटाई के लिए, इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसके लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो। इस हेतु

				बंदी को अपनी निजी कृषि भूमि के सम्बन्ध में खतौनी/बही अथवा अन्य अभिलेख उपलब्ध कराना होगा; परन्तु उक्त आधार पर दण्डादेश का निलम्बन केवल उन मामलों में किया जायेगा जिनमें तीन वर्ष तक के कारावास (जुर्माने सहित या जुर्माने रहित) का दण्डादेश दिया गया है, या
			(ड)	ऐसी विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में जिसमें बंदी की उपस्थिति आवश्यक है, जैसे बंदी का घर टूट जाना अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, जिसकी पुष्टि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाय, या
			(च)	बंदी के असाध्य रोगों जैसे कैन्सर, एड्स के उपचार एवं लीवर, किडनी तथा हृदय आदि शारीरिक अंगों के प्रत्यारोपण हेतु; परन्तु इस प्रतिबन्ध के साथ कि बंदी के उपचार पर व्यय धनराशि को स्वयं बंदी द्वारा अथवा उसके परिवारजनो द्वारा वहन किया जायेगा; परन्तु यह और भी कि जेल में उसका उपचार कराये जाने का पूर्ण प्रयास हुआ है किन्तु वह स्वस्थ नही हो पा रहा हो और उक्त उपचार उसके जीवन रक्षार्थ आवश्यक है।
		(2)		सरकार अग्रेत्तर आवश्यकता होने पर उपनियम (1) में उल्लिखित किन्ही आधारों पर दण्डादेश के निलम्बन की अवधि 02 माह की अवधि तक बढा सकेगी जिसमें की नियम–3(1) में स्वीकृत अवधि भी सम्मिलित होगी।
दो माह बाद दण्डादेश के निलम्बन की अवधि का विस्तारण	4	(1)		उपनियम–3(2) में निर्दिष्ट दण्डादेश के निलम्बन की अवधि अग्रेत्तर आवश्यकता होने पर राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से 03 माह तक विस्तारित की जा सकेगी जिसमें नियम–3(1) एवं 3(2) की अवधि भी सम्मिलित होगी।
		(2)		किसी बंदी के दण्डादेश के निलम्बन की कुल अवधि (सम्पूर्ण दण्डावधि काल के दौरान) सामान्यतः 12 माह से अधिक नहीं हो सकेगी, किन्तु आवश्यकता का औचित्य उचित पाये जाने पर किसी बन्दी के दंण्डादेश के निलम्बन की अवधि (सम्पूर्ण दण्डावधि काल के दौरान) राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से 12 माह से अधिक हो सकेगी।
दण्डादेश के निलम्बन की प्रक्रिया	5	(1)		दण्डादेश के निलम्बन के लिए प्रार्थना–पत्र स्वयं बंदी द्वारा या बंदी के परिवार के किसी सदस्य या निकट सम्बन्धी द्वारा विहित प्रपत्र–1, में दो प्रतियों में सम्बन्धित जेल के अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। जेल अधीक्षक एक प्रति अपनी अभ्युक्तियों के साथ और प्रपत्र–2 में जेल रिपोर्ट के साथ महानिरीक्षक कारागार के माध्यम से सरकार को और दूसरी प्रति सीधे सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करेगा।
		(2)		राज्य सरकार या मण्डलायुक्त जैसी भी स्थिति हो बंदी के दण्डादेश के निलम्बन की वांछनीयता पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगेगें, जो कि ऐसी जांच, जो आवश्यक समझी जाय, कराने के पश्चात् अपनी–अपनी रिपोर्ट प्रपत्र–3 में 30 दिन के भीतर सीधे राज्य सरकार को या मण्डलायुक्त को जैसी भी स्थिति हो प्रस्तुत करेंगे।
		(3)		राज्य सरकार उचित मामलों में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 432 की उपधारा (2) के अधीन उस न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश, जिसके समक्ष दोषसिद्धि हुयी थी या जिसके द्वारा उसकी पुष्टि की गई थी, से राय मांग सकेगी।
		(4)		राज्य सरकार या मण्डलायुक्त जैसी भी स्थिति हो बंदी की आयु, स्वास्थ्य की दशा, भोगे गये दण्डादेश और जेल में उसके चाल–चलन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट मांग सकेगें।
		(5)		कोई बंदी किसी दण्डादेश के निलम्बन पर तब तक नही छोड़ा जायेगा जब तक कि वह जिला मजिस्ट्रेट के समाधान हेतु व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा दो जमानतीयों के साथ इस आशय की प्रतिभूतियां प्रस्तुत न कर दे कि वह दण्डादेश के निलम्बन की अवधि की समाप्ति पर सम्बन्धित जेल में समर्पण कर देगा और उक्त अवधि के दौरान शान्ति बनाये

				रखेगा और अच्छा चाल–चलन रखेगा।
आदेश बनाने की शक्ति	**6**	राज्य सरकार, इस नियमावली के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कठिनाईयों के निवारण हेतु सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा आदेश कर सकेगी, परन्तु इस प्रकार के आदेश इस नियमावली के प्रख्यापन के दो वर्ष के भीतर तक किये जा सकेंगे।		
दण्डादेश के निलम्बन की शर्तें	**7**	(1)	हत्या, डकैती, बलात्कार, पोक्सो, राजद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध एवं आतंकवाद सम्बन्धी अपराध या अन्य अपराध जिनमें 10 वर्ष (जुर्माने सहित या जुर्माने रहित) या अधिक के कारावास का दण्डादेश दिया गया है में बिना परिहार के न्यूनतम चार वर्ष का दण्डादेश न भोग चुका हो, दण्डादेश का निलम्बन मंजूर नही किया जायेगा। अन्य समस्त मामलों में दण्डादेश का निलम्बन तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि बन्दी बिना परिहार के न्यूनतम 01 वर्ष का दण्डादेश न भोग चुका हो।	
		(2)	यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक की यह राय हो कि बन्दी के छोड़े जाने से क्षेत्र की शान्ति और प्रशान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो दण्डादेश का निलम्बन जघन्य अपराध के लिए किसी सिद्धदोष बंदी को या किसी आभ्यासिक अपराधी को मंजूर नही किया जा सकेगा।	
		(3)	दण्डादेश के निलम्बन की अवधि की गणना भोगे गये दण्डादेश की अवधि में नही की जायेगी।	
		(4)	अपरिहार्य परिस्थितियों यथा, किसी बन्दी के माता–पिता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या बहन की मृत्यु या प्राकृतिक आपदाओं में किसी बन्दी के दण्डादेश का निलम्बन 72 घण्टे के लिये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा।	
दण्डादेश के निलम्बन की शर्तों के उल्लंघन के लिए दण्ड प्रक्रिया	**8**	(1)	दण्डादेश के निलम्बन की अवधि में जिला प्रशासन द्वारा बंदी पर सतर्क दृष्टि रखी जायेगी। जेल अधीक्षक दण्डादेश के निलम्बन की अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी बन्दी के जेल के बाहर नियत अवधि से अधिक ठहरने या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बारे में सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट और महानिरीक्षक कारागार को सूचित करेगा और सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से उक्त बन्दी को गिरफ्तार करने के लिए अनुरोध करेगा।	
		(2)	कोई बन्दी जिसके दण्डादेश का निलम्बन किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया गया है:–	
			(क)	यदि वह 03 दिन के अन्दर विलम्ब से जेल में समर्पण करता है या गिरफ्तार कर लाया जाता है तो उसकी अनुशासनहीनता जेल पंजिका में अभिलिखित की जायेगी।
			(ख)	यदि वह 03 दिन के बाद विलम्ब से जेल में समर्पण करता है या गिरफ्तार कर लाया जाता है तो अगले दो वर्ष तक उसके दण्डादेश का निलम्बन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

प्रपत्र–1

दण्डादेश के निलम्बन के लिए प्रार्थना–पत्र

(नियम 5(1) देखिये)

1– बन्दी का नाम.....2–पिता/पति का नाम.....

3– बन्दी का पता.....

4– थाना .....तहसील .....जिला.....

5–बन्दी किस कारागार में बन्द है.....

6–बन्दी के अपराध की धारा व दण्ड की अवधि.....
.....

7– किस न्यायालय से दण्डित हुआ.....

8–बन्दी के दण्डित होने की तिथि.....

9–दिनांक .....तक भोगी गयी सजा –(अ) अपरिहार.....(ब) सपरिहार.....

10–बन्दी कोई अपील/रिवीजन किसी न्यायालय में विचाराधीन है अथवा नही.....
.....

11– क्या इससे पूर्व दण्डादेश निलम्बन प्राप्त हुआ है (यदि हॉ तो विवरण दें).....
.....

12– दण्डादेश निलम्बन की प्रार्थना का आधार.....
.....

13–कितनी अवधि के लिए दण्डादेश निलम्बन की प्रार्थना है.....

14–यदि दण्डादेश के निलम्बन की अवधि बढ़ायी जाने की प्रार्थना है तो.....

(क) अब तक कितना दण्डादेश निलम्बन हो चुका है.....

(ख) कितनी बार में.....

(ग) पिछली बार स्वीकृत दण्डादेश के निलम्बन अवधि किस तिथि को समाप्त हो रही है.....
.....

(घ) दण्डादेश निलम्बन में कितनी वृद्धि की प्रार्थना है.....

15– यदि शादी के आधार पर दण्डादेश निलम्बन मांगा गया है, तो–

(क) पुत्री/पुत्र का नाम तथा पिता का नाम–

(ख) पुत्री/पुत्र की आयु–

(ग) जिससे शादी होनी है उसके पिता का नाम–

(घ) उसकी आयु–

16– यदि खेती के कार्य के लिए दण्डादेश निलम्बन की प्रार्थना है तो–

(क) क्या प्रार्थना बन्दी की जमीन की जुताई/बुआई के लिए है.....

(ख) क्या प्रार्थना फसल की कटाई, मड़ाई के लिए है.....

(ग) उपरोक्त दोनो दशाओं में यह अंकित करें कि उपरोक्त कार्यों के लिए क्या कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नही है? विवरण दें.....

.....

.....

17– विशेष आपातकालीन परिस्थितियों, जैसे बंदी का घर टूट जाना अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति जिसमें बंदी की उपस्थिति आवश्यक हो, जिसकी पुष्टि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी हो उसका विवरण.....

.....

.....

18–दण्डादेश निलम्बन का कोई अन्य कारण.....

.....

.....

.....

दिनांक–

प्रार्थी के हस्ताक्षर

1–प्रार्थी का नाम–.....

2–पिता/पति का नाम.....

3–बन्दी से सम्बन्ध.....

4–ग्राम/कस्बा.....

5–डाकखाना.....

6–जिला.....

विशेष सूचना– दण्डादेश के निलम्बन की अवधि की गणना भोगे गये दण्डादेश में सम्मिलित नही होगी।

प्रपत्र–2

बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन हेतु "जेल रिपोर्ट" का प्रपत्र।

(नियम 5(1) देखिए)

दिनांक.....(जारी करने की तिथि)

1– जेल प्रवेश पंजी संख्या..... 2–बंदी संख्या.....

3– बंदी का नाम..... 4–पिता/पति का नाम.....

5– वर्तमान आयु..... 6–जन्मतिथि.....

7– बंदी का पूर्ण पता.....

.....

8– (क) सजा/दण्ड देने वाले न्यायालय का नाम .....

(ख) सजा का दिनांक .....

9– मृत्युदण्ड की सजा आजीवन कारावास

व अन्य कम्यूट होने का विवरण.....

10– अपराध (संक्षिप्त), सत्र परी0सं0 एवं दण्ड की धाराएं .....

.....

11– सजावधि .....

12– (क) कारागार में प्रवेश तिथि .....

(ख) पुनः प्रवेश तिथि .....

13– बंदी द्वारा दिनांक .....तक भोगी गयी सजा–

	वर्ष	माह	दिन
वास्तविक/अपरिहार			
अर्जित परिहार			
सपरिहार कुल सजा			

14– अपील/रिवीजन न्यायालय में स्थिति .....

15– बंदी का लम्बित अन्य वाद, यदि कोई हो .....

16– जेल में आचरण .....

(जेल में दिए गये दण्ड का विवरण सहित).....

17– बंदी का स्वास्थ्य (स्पष्ट उल्लिखित) .....

.....

18– बंदी के पूर्व में स्वीकृत दण्डादेश का निलम्बन/गृह अवकाश का विवरण .....

.....

19– क्या बंदी पूर्व स्वीकृत दण्डादेश के निलम्बन/गृह अवकाश अवधि का उपयोग कर समय से जेल में हाजिर हुआ। यदि नही तो दिये गये दण्ड का विवरण .....

.....

20– क्या दया याचिका लम्बित है .....

वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक
कारागार।

अग्रसारित–

महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड।

प्रपत्र–3

जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र

(नियम 5(2) देखिए)

1. बंदी का संक्षिप्त आपराधिक इतिहास एवं लम्बित वादों की अद्यावधिक स्थिति।
2. बन्दी के परिवार के सदस्यों का विवरण।
3. बन्दी द्वारा पूर्व में भोगे गये दण्डादेश के निलम्बन/पैरोल/गृह अवकाश का विवरण तथा उसके दौरान बन्दी का चाल–चलन।
4. बन्दी को दण्डादेश के निलम्बन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उसके द्वारा उल्लिखित कारण/आधार की पुष्टि।
5. बन्दी के दण्डादेश के निलम्बन किये जाने के सम्बन्ध में कारण सहित अपनी सुस्पष्ट संस्तुतियॉ कि उक्त बन्दी के दण्डादेश का निलम्बन (पैरोल प्रदान) किया जाय अथवा नही किया जाय।